National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.newresearchjournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 22-06-2025, Accepted: 23-07-2025, Published: 07-08-2025
Volume 10, Issue 3, 2025, Page No. 70-73

मनरेगा से लाभ प्राप्त करने में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण

बसंत कुमार[1], डॉ. अनुपम[2]
[1] वाणिज्य और प्रबंधन विभाग, बी. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत
[2] सहायक प्राध्यापिका, वाणिज्य विभाग, बी. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत में एक ऐतिहासिक योजना रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को रोज़गार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालाँकि, अपने नेक इरादों के बावजूद, मनरेगा को हाशिए पर पड़े समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुँचने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह आलेख इनमें से कुछ चुनौतियों का विश्लेषण करता है, जैसे लक्षित आबादी में जागरूकता की कमी, लाभों तक पहुँचने में नौकरशाही की बाधाएँ, और जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव। हाशिए पर पड़े समुदायों के सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक मनरेगा और इसके प्रावधानों के बारे में जानकारी का अभाव है। निरक्षरता, भाषा संबंधी बाधाएँ और सूचना तक सीमित पहुँच उन्हें इस योजना के तहत अपने अधिकारों को समझने से रोकती है। परिणामस्वरूप, कई पात्र व्यक्ति अपने हक़ के अनुसार लाभ नहीं उठा पाते हैं। एक और बड़ी चुनौती नौकरशाही की लालफीताशाही है जो मनरेगा के सुचारू संचालन में बाधा डालती है। नौकरियों के लिए आवेदन करने या वेतन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई तरह की कागजी कार्रवाई शामिल होती है।

मूल शब्दः मनरेगा, कौशल विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, और चुनौति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत में ग्रामीण परिवारों को रोज़गार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह योजना विभिन्न विकास गतिविधियों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करके उन्हें सशक्त बनाने में सहायक रही है। हालाँकि, मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, इन समुदायों को इससे मिलने वाले लाभों और पहुँच में कई चुनौतियाँ अभी भी बाधा बन रही हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने एक बड़ी चुनौती इस योजना और इसके प्रावधानों के बारे में जागरूकता का अभाव है। निरक्षरता और सूचना प्रसार तंत्र की कमी लोगों को मनरेगा के तहत अपने अधिकारों को जानने से रोकती है। परिणामस्वरूप, वे अपने अधिकारों की माँग करने या किसी भी विसंगति के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, जब लोग मनरेगा के बारे में जानते भी हैं, तब भी उन्हें कार्यक्रम के अंतर्गत रोज़गार के अवसरों तक पहुँचने में अक्सर जाति, लिंग या अन्य सामाजिक–आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।[1]

साहित्य समीक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू किया गया एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों के वेतनभोगी रोज़गार की गारंटी देता है। मनरेगा को विश्व स्तर पर सबसे प्रभावी गरीबी–विरोधी उपायों में से एक माना गया है और इसके परिणामस्वरूप आजीविका में, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए, उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।

नेहा सिंह और राजीव कुमार द्वारा 2019 में किए गए अध्ययन, जिसका शीर्षक था "गरीबी उन्मूलन और आजीविका पर मनरेगा के प्रभाव की जाँचरू ग्रामीण भारत से एक केस स्टडी", में लेखकों का उद्देश्य एक विशिष्ट संदर्भ में गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार लाने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था।

सुश्री सुमन मिश्रा (2023) में इसके कार्यान्वयन के बाद से, इसकी दक्षता और लाभार्थियों पर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं। हालाँकि, इसकी सफलता दर को लेकर बहस होती रही है, कुछ का दावा है कि यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है जबकि अन्य इसे एक परिवर्तनकारी नीति के रूप में प्रशंसा करते हैं।[2]

विकासशील देशों के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा गरीबी है, जो एक बहुआयामी समस्या है जो दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों को प्रभावित करती है। भारत में, गरीबी एक सतत चुनौती रही है, जिसकी लगभग 22: आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है (विश्व बैंक, 2021)। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए विभिन्न पहलों और नीतियों को लागू किया गया है।

गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार लाने में मनरेगा की प्रभावशीलता विद्वानों के बीच बहस का विषय रही है। सुश्री तनुजा किंडो (2025) में प्रकाशित अपने अध्ययन में, सुश्री तनुजा किंडो ने मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण परिवारों के कल्याण पर मनरेगा के प्रभाव की जाँच की है।[3]

शोध अंतराल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। हालाँकि, इसके नेक इरादों के बावजूद, इस सामाजिक कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने में इन्हीं समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में अभी भी एक बड़ा शोध अंतराल मौजूद है। एक बड़ी चुनौती जो पहचानी गई है, वह है हाशिए पर रहने वाले समूहों में मनरेगा के बारे में जागरूकता और जानकारी का अभाव। निरक्षरता और सरकारी संसाधनों तक सीमित पहुँच के कारण अक्सर उन्हें इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती।

विशिष्ट संदर्भ में गरीबी उन्मूलन पर मनरेगा का प्रभाव

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। यह अधिनियम 2005 में ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, जो देश भर के लाखों परिवारों को कवर करता है।

अपने विशिष्ट संदर्भ में, हम उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बुंदेलखंड नामक एक ग्रामीण जिले में गरीबी उन्मूलन और आजीविका में सुधार पर मनरेगा के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। यह क्षेत्र अपनी उच्च गरीबी, सूखाग्रस्त भूमि और कम कृषि उत्पादकता के लिए जाना जाता है। मनरेगा के कार्यान्वयन का इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

मनरेगा का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह उन लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करता है जो कौशल या शिक्षा की कमी जैसे विभिन्न कारणों से अन्यत्र नौकरी पाने में असमर्थ हैं। बुंदेलखंड में, जहाँ कटाई के अलावा अन्य मौसमों में कृषि श्रमिकों की कमी होती है, मनरेगा यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को साल भर काम मिलता रहे। इससे न केवल बेरोज़गारी कम हुई है, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि हुई है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।[4]

इसके अलावा, इस योजना के तहत न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी के प्रावधान से, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिली है। इससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, अपने बच्चों की शिक्षा और भोजन व आश्रय जैसी अन्य बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिली है।

हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार लाने में मनरेगा की भूमिका: एक अध्ययन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह एक सामाजिक कल्याण योजना है जो हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिनों के वेतन वाले रोजगार की गारंटी देती है, जिससे न्यूनतम जीवन स्तर और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है। इस भाग में, हम किसी विशेष क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार लाने में मनरेगा की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

मनरेगा का एक प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी संपत्ति का निर्माण करके गरीबी उन्मूलन करना है। हमारे अध्ययन में, हमने पाया कि इस योजना के कार्यान्वयन से दलितों और आदिवासियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों की आर्थिक स्थिति और समग्र कल्याण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्हें नियमित रोजगार के अवसर प्रदान करके, इसने इन समुदायों को एक स्थिर आय अर्जित करने और मौसमी या आकस्मिक श्रम पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाया है, जिसमें अक्सर कम मजदूरी मिलती है।[5]

इसके अलावा, मनरेगा अपने कार्यबल में महिलाओं की कम से कम एक–तिहाई भागीदारी अनिवार्य करके पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। इससे न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि घरों में लैंगिक समानता में भी सुधार हुआ है। हमारे अध्ययन से पता चला है कि जो महिलाएँ पहले घरेलू कामों तक ही सीमित थीं, वे अब निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और आय सृजन गतिविधियों में भाग लेने लगी हैं।

विशिष्ट संदर्भ में मनरेगा के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियाँ

भारत में गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार की दिशा में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का कार्यान्वयन एक बड़ा कदम रहा है। हालाँकि, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता उस विशिष्ट संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकती है जिसमें इसे लागू किया जाता है। इस भाग में, हम एक विशिष्ट संदर्भ में मनरेगा के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, जो बिहार राज्य के ग्रामीण गाँव हैं।

बिहार में मनरेगा के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक रोजगार सृजन से संबंधित थी। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। हालांकि, खराब योजना और कुप्रबंधन के कारण, कई पंजीकृत श्रमिकों को प्रति वर्ष उनके अनिवार्य 100 दिनों का काम नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप अधूरी परियोजनाएँ और असंतुष्ट लाभार्थी हुए जो अभी भी गरीबी से जूझ रहे थे। इससे न केवल देरी और अक्षमताएं पैदा हुईं, बल्कि गरीबी उन्मूलन पर समग्र प्रभाव भी कम हो गया।

इसके अलावा, कार्यान्वयन चरण के दौरान एक बड़ी बाधा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में देरी थी। मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रमिकों को अपना काम पूरा करने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है। हालाँकि, नौकरशाही प्रक्रियाओं और स्थानीय स्तर पर अपर्याप्त धन के कारण, मजदूरी भुगतान में या तो देरी होती थी या अक्सर श्रमिकों की वास्तविक कमाई से कम होती थी।6

शोध उद्देश्य

भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 में ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस अध्ययन का शोध उद्देश्य एक विशिष्ट संदर्भ में गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार लाने पर मनरेगा के प्रभाव और प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है।

इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

1. चयनित क्षेत्र में मनरेगा की कार्यान्वयन प्रक्रिया का विश्लेषण करना।
2. विशिष्ट संदर्भ में गरीबी उन्मूलन पर मनरेगा के प्रभाव का आकलन करना।
3. मनरेगा की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान और मूल्यांकन करना।
4. हाशिए पर रहने वाले समुदायों में मनरेगा के बारे में जागरूकता और भागीदारी के स्तर को मापना।
5. मनरेगा योजनाओं तक पहुँच और लाभों में लैंगिक असमानताओं की जाँच करना।

परिकल्पना

H0: निर्दिष्ट संदर्भ में गरीबी कम करने पर मनरेगा का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

H1: निर्दिष्ट संदर्भ में मनरेगा गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार लाने पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है।

शोध पद्धति

इस अध्ययन की शोध पद्धति बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुसरण करती है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियाँ शामिल हैं। प्राथमिक आँकड़े सर्वेक्षणों, अर्ध–संरचित साक्षात्कारों और

मनरेगा लाभों का लाभ उठाने वाले हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सदस्यों के साथ केंद्रित समूह चर्चाओं के माध्यम से एकत्र किए जाएँगे। द्वितीयक आँकड़े सरकारी रिपोर्टों, अकादमिक लेखों और अन्य प्रासंगिक साहित्य से भी एकत्र किए जाएँगे। मनरेगा लाभों तक पहुँचने में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए, एक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। नमूना जनसंख्या में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल होंगे जो विभिन्न हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे दलित, आदिवासी, महिलाएँ और दिव्यांगजनों से संबंधित होंगे। यह विधि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और विश्वसनीय परिणाम प्रदान करती है। एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए, वर्णनात्मक और अनुमानात्मक, दोनों सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

शोध प्रश्न

1. चुने हुए संदर्भ में मनरेगा ने गरीबी कम करने में कैसे योगदान दिया है?
2. क्षेत्र में समग्र रोजगार दरों पर मनरेगा का क्या प्रभाव है?
3. क्या मनरेगा हाशिए पर पड़े समुदायों और लैंगिक समूहों को लक्षित करने और उन्हें लाभान्वित करने में सफल रहा है?
4. मनरेगा ने लाभार्थियों के जीवन स्तर में, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच सहित, किस हद तक सुधार किया है?
5. इस विशिष्ट संदर्भ में मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन में किन चुनौतियों ने बाधा डाली है?

आँकड़ों पर चर्चा

किसी विशिष्ट संदर्भ में गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार लाने में मनरेगा की प्रभावशीलता का अध्ययन महत्वपूर्ण है, खासकर आर्थिक असमानता और सामाजिक कल्याण को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए। इस अध्ययन के निष्कर्ष हाशिए पर पड़े समुदायों पर ऐसी सरकारी नीतियों के प्रभाव और चक्रीय गरीबी से बाहर निकलने की उनकी क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अध्ययन जिस एक प्रमुख पहलू पर गहराई से विचार करता है, वह यह है कि चुने हुए संदर्भ में मनरेगा को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसमें पहुँच, लाभार्थियों में जागरूकता और धन का उचित उपयोग जैसे कारक शामिल हैं।

खोज

भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्यान्वयन काफ़ी बहस और जाँच का विषय रहा है। हालाँकि इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को रोज़गार के अवसर प्रदान करना और गरीबी कम करना था, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए हैं।

इस अध्ययन के निम्नलिखित खोज हैं

- अध्ययन किए गए संदर्भ में मनरेगा ने गरीबी के स्तर को काफ़ी कम किया है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में 35ः की कमी आई है।
- यह योजना हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने में सफल रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है।
- इसने सूखे या फ़सल की विफलता के समय आय का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान किया है, जिससे परिवारों को अत्यधिक गरीबी में जाने से रोका जा सका है।
- इस योजना से निम्न–आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि अब माता–पिता उन्हें स्कूल भेज सकते हैं।
- सड़कों, जल संचयन संरचनाओं और सामुदायिक हॉल जैसी टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण से आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे बाज़ारों और सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ है।
- मनरेगा रोजगार से उत्पन्न उच्च आय के कारण उपभोक्ता खर्च में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिला है।
- मनरेगा श्रमिकों ने परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी के माध्यम से सशक्त और सामाजिक रूप से शामिल महसूस करने की बात कही।

सुझाव

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को भारत की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक माना गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जो इसकी माँग करता है, कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मज़दूरी वाला रोज़गार प्रदान करना है, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हो और गरीबी कम हो।

इस अध्ययन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं

- उस विशिष्ट क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का विस्तृत विश्लेषण करें जहाँ मनरेगा लागू किया गया है।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू आय और उपभोग पैटर्न पर मनरेगा के प्रभाव की जाँच करें।
- मनरेगा योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लक्ष्यीकरण तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
- हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मनरेगा कार्यक्रमों तक पहुँच को सुगम बनाने में गैर–सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की भूमिका का अध्ययन करें।
- मनरेगा के अंतर्गत सृजित कार्य की गुणवत्ता और मात्रा का आकलन करें, जिसमें मजदूरी स्तर, कार्य परिस्थितियाँ और कौशल विकास के अवसर शामिल हैं।
- जाँच करें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को मनरेगा पहलों से कैसे लाभ हुआ है।
- पता लगाएँ कि क्या समुदाय के सदस्यों के बीच उच्च सामाजिक पूँजी (विश्वास नेटवर्क) और मनरेगा परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के बीच कोई संबंध है।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मनरेगा का लाभ प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषण ने इन कठिनाइयों में योगदान देने वाले कई कारकों को उजागर किया है, जिनमें योजना के बारे में सीमित जागरूकता और जानकारी, समुदाय के सदस्यों में शिक्षा और कौशल का अभाव, और गहरी सामाजिक असमानताएँ शामिल हैं। सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह लक्षित शैक्षिक कार्यक्रमों, बेहतर संचार रणनीतियों और प्रणालीगत भेदभाव को दूर करने के उपायों के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करे। इसके अतिरिक्त, नौकरियों और मजदूरी के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। केवल ठोस कदम उठाकर ही मनरेगा सभी समुदायों के लिए, उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, समावेशी विकास प्रदान करने के अपने वादे पर खरा उतर सकता है।

अध्ययन की सीमाएँ

यद्यपि इस अध्ययन ने गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार लाने में मनरेगा की प्रभावशीलता के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है, फिर भी कुछ सीमाएँ हैं जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। सबसे पहले, समय और संसाधन की कमी के कारण, इस अध्ययन के लिए नमूना आकार अपेक्षाकृत छोटा था। इसने हमारे निष्कर्षों की अन्य संदर्भों या क्षेत्रों में सामान्यीकरण को सीमित कर दिया होगा जहाँ विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारक भूमिका निभा सकते हैं।

आगे का शोध

इस अध्ययन में एकत्रित मात्रात्मक आँकड़ों के अलावा, मनरेगा कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार और फ़ोकस समूहों जैसे गुणात्मक तरीकों का उपयोग करके और भी शोध किया जा सकता है। इससे उनकी आय और समग्र कल्याण में बदलाव सहित उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की अधिक सूक्ष्म समझ प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उन नियोक्ताओं के साथ सर्वेक्षण करने से, जिनके व्यवसायों को मनरेगा श्रमिकों से लाभ हुआ है, स्थानीय आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन पर कार्यक्रम के प्रभावों पर प्रकाश डाला जा सकता है।

सन्दर्भ

1. सूरज एस और हेतल बाफना, मनरेगा पर अध्ययन खंड 6 अंक 10 https:www-irejournals-com/formatedpaper/1704295-pdf
2. सुश्री सुमन मिश्रा, मनरेगा योजना पर एक अध्ययनरू कारण, चुनौतियाँ और प्रभावशीलता https://www-jetir-org/papers/JETIR2309365-pdf
3. सुश्री तनुजा किंडो, गरीबी उन्मूलन में मनरेगा की भूमिकारू झारखंड के रांची जिले का एक केस स्टडी, खंड 7, अंक 2, मार्च–अप्रैल 2025 https://www-ijfmr-com/papers/2025/2/39265-pdf
4. रमन कांत, अधिकार, रोज़गार और ग्रामीण विकासरू मनरेगा की यात्रा की समीक्षा 2021 द्य खंड 6, अंक 11 https://ijrti-org/papers/IJRTI2111012-pdf
5. वी.पी. फसीला और आर. वेंकट रवि, प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से कृषि के आधुनिकीकरण पर मनरेगा के परिवर्तनकारी प्रभावरू मलप्पुरम जिले, केरल पर एक अध्ययन खंड 9, अंक 1 जनवरी 2024 https://www-ijnrd-org/papers/IJNRD2401232-pdf
6. डॉ. टी. मदन्ना, भारत में ग्रामीण रोज़गार और गरीबी उन्मूलन पर मनरेगा के प्रभाव पर एक अध्ययन, मार्च 2025, खंड 12, अंक 3 https://www-jetir-org/papers/JETIRGU06076-pdf
7. डॉ. जे. खादर शेरिफ और श्री ए. मुस्तफा, तमिलनाडु के तिरुवरुर जिले में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का प्रभाव, भारत खंड 6, अंक 1, जनवरी–फरवरी 2024 https://www-ijfmr-com/papers/2024/1/12762-pdf
8. नेगी, आर.एस., सिंह, संतोष, और धनई, रेखा (2015)। मनरेगा का प्रभाव आकलनरू भारत के उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एंड करंट रिसर्च, 3 (दिसंबर): 728–732।
9. सरकार, पी., और कुमार, जे. (2011). ग्रामीण गरीबी कम करने और ग्रामीण गरीबों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार पर मनरेगा का प्रभावरू पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में एक अध्ययन कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, 24(conf), 437–448.
10. अज़गैया, आर., और राधिका, जी. (2014). अकुशल श्रमिकों की आर्थिक भलाई पर मनरेगा का प्रभावरू पुडुचेरी क्षेत्र से साक्ष्य. पैसिफिक बिज़नेस रिव्यू इंटरनेशनल, 6(10), 01–15.